[24/3/2025]

प्रश्न सं. [क. 1081]

वि.सभा मतारांकित प्र.क्र 1081 परिशिष्ट "ब"

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, 462004

क्रमांक एफ 4/0012/2024/सात-2 भोपाल, दिनांक 16/5/2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मान0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित SLP (c) No. 9036-9039/2016 इंदौर डैवलेपमेंट एथोरिटी बनाम मनोहर लाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06 मार्च 2020।

----0000----

विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सी) नं0 9036-9038/2016 इंदौर डेवलेपमेंट एथोरिटी बनाम मनोहर लाल एवं अन्य में पॉच जजों की बैच ने दिनांक 06/03/2020 द्वारा निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 की विवेचना की गई है। मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/8700/8700_2016_3_1501_21394_judgement_06-Mar-2020.pdf पर उपलब्ध है।

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

अनुभाग अधिकारी,
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म० प्र० शासन

परिशिष्ट-अ(2)

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन - 407

आर.क्र./012-/2135075/2024/सात-2 भोपाल, दिनांक 12/9/2024

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - भोपाल,
मध्यप्रदेश।

विषय :- कलियासोत बांध हेतु ग्राम दामखेड़ा खसरा क्रमांक 15/1, 15/2/1 की जल संसाधन विभाग के लिये अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 77/भू-अर्जन/2024, दिनांक 18.06.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 4/0012/2024/सात-2 दिनांक 16.05.2024 की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

उक्त आदेश के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक एवं इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Reader to Collector Sir
11/9/2024

अनुभाग अधिकारी
राजस्व विभाग शाखा भोपाल

प्र.अ. भू-अर्जन

...mp.gov.in/euttar/UserLogin/prashnottar/FiledwIIP.aspx?FidRP=hdd|F...

परिशिष्ट- अ(3)

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल(म0प्र0)

क्रमांक /270/भू अर्जन/2025 भोपाल, दिनांक 3/2/2025

प्रति,

सबीहा सुल्तान एवं अन्य परियारजन
मुख्तारआम चिमला यादव
निवासी C/O यसीस खान
भारत टाकीज के पीछे, मकान नं0 11, गली नं0 2,
मंगलवारा, भोपाल

विषयः— भू—अर्जन का मुआवजा भुगतान के संबंध में।

संदर्भः— आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2024।

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र के माध्यम से आपके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसएलपी(सी) क्रमांक 9036—9039/2016 इंदौर डेवलपमेंट एथोरिटी बनाम मनोहर लाल एवं अन्य में पारित आदेश की कण्डिका 363(4) के तहत मुआवजा भुगतान की मांग की गई है।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सम्पूर्ण विचारण तथा कार्यालयीन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत कलेक्टर महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कण्डिका 363(4) के प्रावधान आपके प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः आप भू—अर्जन प्रकरण में पारित अवार्ड अनुसार वर्ष 1995 की स्थिति अनुसार प्रतिकर की निर्धारित राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मूल भू—धारक के पहचान संबंधी दस्तावेज एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। कृपया सूचित हो।

अपर कलेक्टर
जिला भोपाल

पृ.क्रमाक / /भू—अर्जन/2025 भोपाल,दिनांक / /2025

प्रतिलिपिः—

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर पत्र क्रमांक 1012/2135075/सात—2 दिनांक 12.09.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन
राजस्व विभाग